अनुदान संख्या 38 - व्यय विभाग
GRANT No. 38 – DEPARTMENT OF EXPENDITURE

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted –				
मूल	Original	99,97,00	127,46,00	117,70,05	-9,75,95
पूरक	Supplementary	27,49,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				8,38,28
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted –		2,00,00	1,03,00	-97,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				97,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹975.95 लाख) अगस्त, 2011, नवम्बर, 2011 और मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹2749.00 लाख के पूरक अनुदानों का 36 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधानों का 8 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹975.95 lakhs) constituted 36 percent of the supplementary grants of ₹2749.00 lakhs obtained in August, 2011, November, 2011 and March, 2012 and 8 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Secretariat - General Services				
मू.	O.	5591.00			
पू.	S.	1876.00	6847.45	6739.62	-107.83
पु.	R.	-619.55			
मुख्य शीर्ष "2070"	Major Head "2070"				
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services				
मू.	O.	4406.00			
पू.	S.	873.00	5060.27	5030.43	-29.84
पु.	R.	- 218.73			

(I) मुख्य शीर्ष "2070" - "प्रशिक्षण - सिविल लेखांकन विभाग (शासकीय लेखा एवं वित्त संस्थान) में प्रशिक्षण केन्द्र" के अंतर्गत ₹365.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹33.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹398.00 लाख कर दिया गया था। तथापि, ₹36.91 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर की कम अधिप्राप्ति किए जाने, कम परामर्शदाताओं को भाड़े पर रखे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(II) निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) "मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय - व्यय विभाग" - ₹ 5591.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1876.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹7467.00 लाख कर दिया गया था, जो तथापि, रिक्त पदों को न भरे जाने, मुख्य परियोजनाओं के निष्पादन में विलंब होने, परामर्शदाताओं तथा बाहरी स्रोतों से रखे गए अन्य कर्मचारियों को कम संख्या में भाड़े पर रखे जाने, कम दावों के प्राप्त होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण ₹727.38 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "2070" - "अन्य व्यय - नई पेंशन स्कीम के लिए एनएसडीएल को सेवा प्रभार" - ₹3600.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹840.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹4440.00 लाख कर दिया गया था, जो तथापि, एनएसडीएल से कम दावों के प्राप्त होने के कारण ₹156.40 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹55.00 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत थी।

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, एक शीर्ष के अंतर्गत ₹97.00 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 49 प्रतिशत थी।

(I) Under Major Head "2070" - "Training - Training Centre in the Civil Accounting Department (Institute of Govt. Accounts and Finance)" - the original provision of ₹365.00 lakhs was augmented to ₹398.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹33.00 lakhs. However, there was a saving of ₹36.91 lakhs (including supplementary grant) - due to procurement of less IT hardware, hiring of less consultants and economy measures.

(II) Supplementary grants obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "2052" - "Secretariat – Department of Expenditure" – the original provision of ₹5591.00 lakhs was augmented to ₹7467.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1876.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹727.38 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, delay in execution of major projects, hiring of less consultants and other outsourced staff, receipt of less claims and economy measures.

(B) Major Head "2070" - "Other Expenditure - Service Charges to NSDL for New Pension Scheme" - the original provision of ₹3600.00 lakhs was augmented to ₹4440.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹840.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹156.40 lakhs - due to receipt of less claims from NSDL.

(III) Under one head saving of ₹55.00 lakhs occurred constituting 18 percent of the sanctioned provision.

2. In the capital section of the grant, saving of ₹97.00 lakhs occurred under one head constituting 49 percent of the sanctioned provision.